न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.03.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 13/2024

निर्णय दिनांक : 09.03.2024

जीसीएमएस संख्या– 2024/41 दायर दिनांक – 07.02.2024

चुन्नी लाल रायल पुत्र धन्नाराम रायल जाति जाट निवासी ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री रमेश कुमार बिस्सु एडवोकेट प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जैतासर का स्थाई निवासी है जिनके रोही जैतासर में खेत खसरा संख्या 511 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चुन्नीलाल पुत्र धन्नाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, ड्राईविगं लाइसेन्स एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र में चुन्नी लाल रायल पुत्र धन्नाराम रायल दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीकी खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम चुन्नीलाल रायल पुत्र धन्नाराम रायल दर्ज है। चुन्नीलाल व चुन्नीलाल रायल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चुन्नीलाल रायल पुत्र धन्नाराम रायल किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 16:41:30 IST
Reason: SelfAttested

9.3.24

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति, जन आधार कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल रायल पुत्र धन्नाराम रायल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 511 रकबा 9.6860 हैक्टेयर वाके रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार चुन्नीलाल पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी जैतासर खातेदार के स्थान पर चुन्नीलाल रायल पुत्र धनाराम रायल जाति जाट निवासी जैतासर खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

9/3/24

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

9.3.24

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:30 IST
Reason: SelfAttested